

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 564] No.564]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 2011/आश्विन 20, 1933

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2011/ASVINA 20, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 752(अ).—जबिक केन्द्र सरकार का यह समाधान हो गया है कि डिम्बाक्षरणी बन्ध्यता में डिम्बाक्षरण के प्रेरण के लिए औषध लेट्रोजोल के प्रयोग से लोगों को खतरा होने की संभावना है और जबिक उपर्युक्त औषधों के लिए सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और जबिक केन्द्र सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में उक्त निर्देशन के लिए औषध के विनिर्माण बिक्री और सिवतरण को निर्लोबत करके विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है;

अत:, अब औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 की 23) की धारा 26 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्निलिखित औषध के बिक्री हेतु विनिर्माण बिक्री तथा सर्वितरण को निलंबित करती है।

"डिम्बाक्षरणी बन्ध्यता में डिम्बक्षरण के प्रेरण के लिए लेट्रोजोल"। [फा. सं. एक्स-11014/2/2011-डी एफ क्यू सी] अरूण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (Department of Health and Family Welfare) NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2011

G.S.R. 752(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drug letrozole for induction of ovulation in anovulatory infertility is likely to involve risk to human beings and whereas safer alternatives to the said drugs are available;

And whereas, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to regulate by way of suspension of manufacture, sale and distribution of the drug for the said indication in the public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetic Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby suspends the manufacture for sale, sale and distribution of the following drug with immediate effect.

'Letrozole for induction of ovulation in anovulatory infertility'.

[F.No. X-11014/2/2011-DFQC] ARUN K. PANDA, Jt. Secy.